राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांकः एफ 8 (6) वित्त/एफआर/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 जयपुर, दिनांकः 20-04-2026

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रावधान दिये हुए है। उपापन संस्थाओ द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2013, 01.03.2013, 21.12.2016 एव 06.10.2023 को जारी किये गये हैं।

कतिपय मामलों में वित्त विभाग के ध्यान में आया है कि उपापन संस्थाओ द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, परिपत्र में वर्णित प्रावधानों से भिन्न बनाये जा रहे हैं। जिससे प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष द्वारा प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के संबध में जारी आदेश से भिन्न, प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख विभागाध्यक्ष के अधीन आने वाले उपापन संस्थाओ द्वारा अपने बोली दस्तावेजो में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होने की स्थिति में भी अपील के निस्तारण की समस्या उत्पन्न होती है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओ को निर्देशित किया जाता हैं कि बोली दस्तावेजो में प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का उल्लेख निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेः–

क्र. सं.	उपापन संस्था	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
1.	उपापन संस्थाओ द्वारा उपापन किये जाने पर	वित्तीय शक्तियो के प्रत्यायोजन के अध्यधीन उपापन करने हेतु सक्षम उपापन संस्था से एक स्तर उच्च, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगें।	उपापन संस्था का संबंधित प्रशासनिक विभाग, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगें।
2.	विभागाध्यक्ष (वित्त विभाग के अधीन आने वाले विभागाध्यक्षो को छोडकर) स्वयं उपापन संस्था हैं।	विभाग का संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगें।	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव वित्त (बजट) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगें।

3.	वित्त विभाग के अधीन आने वाले विभागाध्यक्षो द्वारा उपापन किये जाने पर या प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति (जिसमें प्रशासनिक विभाग भी शामिल होता है) के द्वारा उपापन निर्णित होते हैं।	विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/ प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होगें।	प्रमुख शासन सचिव, वित्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगें।

टिप्पणः—यदि किसी उपापन प्रक्रिया में प्रशासनिक विभाग प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट हैं तथा प्रशासनिक विभाग में पद समाप्ति होने या बिना अतिरिक्त कार्यभार के रिक्त होने की स्थिति में विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग ऐसे मामलो में प्रशासनिक विभाग के स्थान पर प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) होगें। इस प्रकार के प्रकरण में यदि विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)/शासन सचिव, वित्त (बजट)/प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है, तो प्रमुख शासन सचिव, वित्त/अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी होगें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयो को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर। विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव ,समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान, जयपुर। सचिव,. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर। पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर लेख हैं कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावे।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग को प्रेषित कर लेख हैं कि इस परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
14. रक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र मोहन)
संयुक्त शासन सचिव